

राजस्थान-सरकार  
निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान-अजमेर

अशोक मार्ग, सावित्री चौराहा, अजमेर (राजस्थान) 305001

E-MAIL 1. ayurvedajm@yahoo.co.in  
2. addlayurvedajm@yahoo.co.in  
3. esttayurved2014@gmail.com

टेलीफोन नम्बर : 0145-2425047  
0145-2425835  
0145-2425993

क्रमांकप.1 / प्रति7 / अधि.से.नि-18 / 17 /

दिनांक

आदेश

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.1(6)एफडी/नियम/98 दिनांक 24.05.2004 के अनुदेशों के तहत आयुर्वेद विभाग के निम्नांकित अराजपत्रित कर्मचारियों द्वारा 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर लेने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक को मध्याह्न बाद राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है :-

मंत्रालयिक एवं अधिनस्थ सेवा के कार्मिक

| क्र. सं. | नाम मंत्रालयिक कार्मिक का | पिता/पति का नाम     | पद           | पदस्थापन स्थान                   | जिला    | जन्म दिनांक | सेवा निवृत्ति दिनांक |
|----------|---------------------------|---------------------|--------------|----------------------------------|---------|-------------|----------------------|
| 1        | श्री राधेश्याम छीपा       | श्री कल्याण मल छीपा | कनिष्ठ सहायक | उप निदेशक आयुर्वेद विभाग भीलवाडा | भीलवाडा | 01/01/1959  | 31/12/2018           |

प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित कार्मिक विरुद्ध आज तक-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि सिविल रिट 8734/2016 डॉ. प्रभात कांवरिया बनाम राज्य सरकार व अन्य के सम्बन्ध में दिनांक 05.12.2016 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णयानुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय की मंशा के अनुरूप राजकीय आवास में अधिवासित अधिकारियों/कर्मचारियों के मामलों में आवंटी की सेवानिवृत्ति से दो माह के भीतर ही राजकीय आवास को रिक्त कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(स्नेहलता पंवार)


निदेशक

दिनांक 23-10-18

क्रमांकप.1 / प्रति7 / अधि.से.नि-18 / 17 / 15820

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. उप शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान-जयपुर।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान-जयपुर।
3. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान-अजमेर।
4. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, अजमेर।
5. अति. निदेशक आयुर्वेद विभाग संभाग अजमेर।
6. उप निदेशक आयुर्वेद विभाग जिला भीलवाडा।
7. शाखा प्रभारी जांच/गोपनीय/प्रति.4/प्रति.6 आयुर्वेद निदेशालय अजमेर।
8. प्रोग्रामर आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर को दी जाकर लेख है कि उक्त को विभागीय बैवसाइट पर अपलोड एवं संबंधित कार्यालय को जरिये ई-मेल करे।
9. सम्ब. कर्म. श्री/श्रीमती.....द्वारा उप निदेशक आयुर्वेद विभाग जिला भीलवाडा।
10. सामान्य-पत्रावली।

  
अति. निदेशक(आयु.)